

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या-पी0पी0एम0-26/2016- 2791 /कृ0, पटना दिनांक 23-06-2016
प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक (प्रशासन)-सह- अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

//अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

#द्वारा - वित्त विभाग।

विषय -

टाल विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 64.596 लाख (चौसठ लाख उनसठ हजार छः सौ) रूपये में से सामान्य वर्ग के लिए 50.3849 लाख (पचास लाख अड़तीस हजार चार सौ नब्बे) रूपये की योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :

स्वीकृत।

निदेशानुसार टाल विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 64.596 लाख (चौसठ लाख उनसठ हजार छः सौ) रूपये में से सामान्य वर्ग के लिए 50.3849 लाख (पचास लाख अड़तीस हजार चार सौ नब्बे) रूपये की योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. टाल विकास योजना 2016-17 राज्य के छः टाल क्षेत्र से अच्छादित जिलों यथा:- पटना, नालन्दा, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय एवं शेखपुरा में चलाये जायेंगे।

(क) उपरोक्त जिलों में प्रत्येक टाल क्षेत्र के प्रखण्डों में चार कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला (एफ0 एफ0 एस0) की दर से कुल 128 एफ0 एफ0 एस0 चलाये जायेंगे।

(ख) कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला (FFS) की अनुमान्य दर 26700/-रूपये है।

(ग) 14 सप्ताह/सत्र तक रब्बी दलहनी फसलों में चलने वाले एफ0एफ0एस0 में 30 कृषक को 5 प्रगतिशील कृषक / NGO / AEO के साथ AESA (कृषि पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण) के द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा। उक्त योजना फसलों पर कीट व्याधि से बचाव के साथ पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही है। प्रशिक्षुओं के चुनाव में सभी वर्ग के कृषकों को चुना जाना है। जिसमें 20% अनुसूचित जाति एवं 2% अनुसूचित जनजाति की सहभागिता आवश्यक होगी। प्रशिक्षुओं में महिला प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता दी जानी है। सभी 30 प्रशिक्षुओं को आई0 पी0 एम0 कीट उपलब्ध कराया जाना है तथा प्रत्येक एफ0 एफ0 एस0 में 5 स्वीपनेट केवल टीम लीडर को कन्टीजेन्ट एक्सपेंडीचर मद की राशि से उपलब्ध कराया जायगा।

(घ) प्रत्येक एफ0 एफ0 एस0 संचालन हेतु दो मास्टर ट्रेनर नियुक्त किये जायेंगे। प्रत्येक पूर्ण सत्रों (Season) के लिए 1500 रूपये की राशि मानदेय के रूप में उपलब्ध कराया जायगा। मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रत्येक एफ0 एफ0 एस0 के लिए एक पौधा संरक्षण कर्मी और एक स्थानीय कृषि समन्वयक/ किसान सलाहकार को प्रतिनियुक्त किया जायगा। जिन्हें जिला स्तरीय दो सत्रों में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रत्येक सत्र दो दिन का होगा। द्वितीय सत्र में On field demonstration के द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन प्रशिक्षणों में कृषि विज्ञान केन्द्र/ कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, कृषि पदाधिकारी एवं सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन प्रशिक्षुओं को प्रत्येक सत्र के लिए मानदेय देय होगा।

प्रत्येक प्रशिक्षु मास्टर ट्रेनर के लिए 450.00 रू0 प्रतिदिन का दर अनुमान्य है। पूर्व वित्तीय वर्ष की तरह मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण हेतु संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण के लिए निधि स्वीकृति एवं कार्यान्वयन का प्रस्ताव है।

27/6/16

27/6

Pratap

(ड.) अंतिम सत्र के बाद प्रशिक्षित कृषकों का प्रक्षेत्र दिवस आयोजित किया जायगा। जहाँ पर प्रशिक्षित कृषकों के साथ-साथ गैर आई० पी० एम० फिल्ड के कृषक एवं टाल विकास योजना में लाभान्वित कृषकों से विस्तृत चर्चा, विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षकों द्वारा की जायेगी। कार्यक्रम में भविष्य में सुधार के लिए किए गए सफल/ असफल कदमों को अंकित किया जायेगा।

आई० पी० एम० एवं गैर आई० पी० एम० क्षेत्रों में फसल कटनी जाँच किया जायगा, जिससे तुलनात्मक उपज का अध्ययन किया जा सके।

खरपतवारनाशीयों का अनुदान पर वितरण:-

(च) टाल क्षेत्र कटोरेनुमा होने के कारण वर्षा का पानी धीरे-धीरे हटता है साथ ही साथ सितम्बर-अक्टूबर के महीने में खरपतवार जैसे मोथा, बड़ी दुधी, छोटी दुधी, हजारा, अमरबेल के व्यापक समस्या हो जाती है। इनके फैलाव को प्रारम्भिक अवस्था में ही नियंत्रण हेतु दलहन बुआई के पहले विभिन्न खरपतवारनाशीयों को उनके मूल्य के 50 प्रतिशत अधिकतम 500/-रुपये प्रति हे० की अनुदानित दर से कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(छ) योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होंगे। योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा किया जायेगा, इसके नोडल पदाधिकारी संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना होंगे। कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला एवं खरपतवारी विवरण का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-1 संलग्न है।

3. उक्त योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 64.596 लाख (चौसठ लाख उनसठ हजार छः सौ) रूपये में से सामान्य वर्ग के लिए 50.3849 लाख (पचास लाख अड़तीस हजार चार सौ नब्बे) रूपये का व्यय बजट मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-109 - विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या-01, उपशीर्ष-0106-इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड- P2401001090106 राज्य योजना स्कीम कोड- ए०जी०आर०-5022 विषय शीर्ष- 27-01 लघु कार्य में उपबंधित राशि 156.00 लाख रु० से विकलनीय होगा।

4. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कर्णांकित राशि का व्यय इन्हीं लाभुगों पर सुनिश्चित कराया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कर्णांकित राशि का विचलन अन्य लाभुकों के लिए नहीं किया जाय। जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के आधार पर राशि व्यय किये जायेंगे। राज्य स्तर पर न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि का व्यय अनुसूचित जाति के लाभुकों पर किया जायेगा तथा 2 प्रतिशत राशि का व्यय अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए किया जायेगा। महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

5. योजना कार्यान्वयन के लिए संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। राज्य स्तर पर परियोजना पदाधिकारी टाल विकास परियोजना एवं कतिपय कार्यमद जैसे किसान प्रशिक्षण, किसान भ्रमण कार्यक्रम आदि कार्यान्वयन करेंगे। कृषि विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए उप कृषि निदेशक, सूचना जिम्मेवार होंगे। वे आवश्यकता तकनीकी आलेख की तैयारी एवं इसके छपने आदि के लिए जिम्मेवार होंगे।

6. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी संलग्न अनुसूची-2 में वर्णित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से की जायेगी।

7. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

8. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखवाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी0पी0एम0-26 / 2016 के पृ0सं0- 16 / टि. पर दिनांक-17.06.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(प्रभु राम कुमार सिंह)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

ज्ञापक- पी0पी0एम0-26 / 2016- 2791

/कु0, पटना दिनांक 23-06-2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

ज्ञापक- पी0पी0एम0-26 / 2016- 2791

/कु0, पटना दिनांक 23-06-2016

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

ज्ञापक- पी0पी0एम0-26 / 2016- 2791

/कु0, पटना दिनांक 23-06-2016

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

ज्ञापक- पी0पी0एम0-26 / 2016- 2791

/कु0, पटना दिनांक 23-06-2016

प्रतिलिपि- कृषि मंत्री के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, बिहार, पटना / सभी संबंधित जिला पदाधिकारी / सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सि


Prasad Kumar Singh


निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

टाँल वलकलस डुऑनल 2016-17 अन्तर्गत कृषक प्रक्षेत्र
 डलडशलल (Farmer Field School) एवं खरडतवलरनलशी वलतरण डें कर्णलकलत वुडड हेतु नलकलसी एवं वुडडन डदलधलकलरी कल डदनलड एवं आवडतलत डुने वलली रलशल की वलवरणी।

क्रुडसंु	नलकलसी एवं वुडडन डदलधलकलरी कल नलड	सलडलनड	अनुसूडलत ऑलतल	अनुसूडलत ऑनऑलतल	कुल आवडतलत रलशल
1	2	3	4	5	6
1	सडलडक नलदेशक, डुडधल संरकुषण, डदनल	15.2724	3.9160	0.3916	19.58
2	सडलडक नलदेशक, डुडधल संरकुषण, लखीसरलड	6.4771	1.6608	0.1661	8.304
3	सडलडक नलदेशक, डुडधल संरकुषण, शुरुखडुरल	2.6801	0.6872	0.0687	3.436
4	सडलडक नलदेशक, डुडधल संरकुषण, डलडललडुर	10.9543	2.8088	0.2809	14.044
5	सडलडक नलदेशक, डुडधल संरकुषण, नुंगेर	4.7362	1.2144	0.1214	6.072
6	सडलडक नलदेशक, डुडधल संरकुषण, नललनुदल	7.5972	1.9480	0.1948	9.74
7	संडुकुत नलदेशक, डुडधल संरकुषण, डलडलर, डदनल	2.6676	0.6840	0.0684	3.42
		50.3849	12.9192	1.2919	64.596

(ऑुडसठ ललख उनसठ डलऑलर ऑः सुडु रूु डलतुर)

Pipath